उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

पत्रांकः– 15258 /स्थापना/18–19 दिनांक 11-06-18

समस्त अवर टंकक/डाटा इन्ट्री ऑपरेटर/प्रवर टंकक/
आशुलिपिक एवं वैयक्तिक सहायक,
उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

प्रधान कार्यालय आदेशांक 18579/स्थापना/17-18 दिनांक 28.03.18 द्वारा दिनांक 02.01.18 द्वारा बैंक में कार्यरत अवर टंकक/डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, प्रवर टंकक/आशुलिपिक एवं वैयक्तिक सहायक के कार्मिकों को उनका वेतन मान उच्चीकृत किये जाने की तिथि से दो वर्ष के भीतर किसी मान्यता प्राप्त संस्था कम्प्यूटर में सी0सी0सी0 अथवा समकक्ष योग्यता प्राप्त कर लिये जाने का प्रमाण पत्र निश्चित रूप से सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश निर्गत किये गये हैं, अन्यथा की स्थिति में पूर्व में प्राप्त हो रहे ग्रेड वेतन (उच्चीकृत ग्रेड वेतन से पूर्व आहरित किये जाने वाला ग्रेड वेतन) में प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा तथा उक्त अवधि उच्चीकरण के फलस्वरूप प्राप्त हुये अधिक भुगतान किये गये वेतन एवं अन्य भत्तों/लाभों आदि की कटौती वेतन/देयों से कर ली जायेगी।

उक्त के क्रम में आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि संलग्नक विकल्प प्रारूप को पूर्ण रूप से भरकर उसकी एक प्रति प्रधान कार्यालय के स्थापना अनुभाग एवं एक प्रति वेतन निर्धारण अनुभाग में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक उपरोक्तानुसार।

(के0 पी0 सिंह),
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही प्रेषित :–

1. उप महाप्रबन्धक (कम्प्यूटर), प्रधान कार्यालय लखनऊ को बैंक की बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु।

प्रबन्ध निदेशक

उ0 प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

:: विकल्प प्रारूप ::

उच्चीकरण विषयक बैक आदेशांक–18579 / स्थापना / 2017–18 दिनांक 28.03.2018 के क्रम में मैं शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-841(1)/10-59(एम)/2008 दिनांक 24.12.2009 के अनुसार अपना विकल्प निम्नवत प्रस्तुत कर रहा हूँ:-

1. मैं दिनांक 02.01.2018 से अनुमन्य उच्चीकृत ग्रेडपे की तिथि से वेतन निर्धारण का विकल्प देता हूॅ।
2. मैं उच्चीकृत ग्रेड पे की तिथि 02.01.2018 के उपरान्त पड़ने वाली सामान्य वेतनवृद्धि की तिथि 01.07.2018 से वेतन निर्धारण हेतु विकल्प देता हूॅ।

नोटः–बैक आदेशांक–18579 / स्थापना / 2017–18 दिनांक 28.03.2018 में अंकित शर्तानुसार यदि निर्धारित अवधि में मै कम्प्यूटर में सी.सी.सी. अथवा समकक्ष योग्यता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत न कर सकूॅ तो उच्चीकरण के रूप में अधिक भुगतानित धनराशि की वसूली मेरे वेतन / देयों से कर ली जाय, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

दिनांक :

विकल्प कमांक (   ) — हस्ताक्षर

स्थान : — नामः

यदि लागू न हो तो काट दिया जाये। — पदनामः

शाखाः–